न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–123/2020

दर्शनसिह पुत्र दलीपसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. दलीपसिह पुत्र तोताराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. माया पुत्री दलीपसिह पत्नी नीला जाति बावरी निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. गोगीं पुत्री दलीपसिह पत्नी भजनलाल जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05.01.2021

वादी दर्शनसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिह के नाम से चकनं0 9 केएचआर के खाता सं0 59/56 में कुल 1.688 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का हक त्याग मौखिक रुप से कर दिया था जिसमें अब उनका कोई हक व हिस्सा नही है।प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को बटवारां में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी दी थी जिस पर वादी बटवारां के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है।वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां मे प्राप्त आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 9 केएचआर के खातासं0 59/56 में से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में हम प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक तथ्याग किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी

वादी को बांट कर दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी को घरू बटवारां में प्राप्त हुई है जो वादी के कब्जा काश्त में है।इसलिए वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 9 केएचआर के खाता सं0 59/56 मे से प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिह का हिस्सा कम कर, शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का बदस्तुर रखा जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हमारा उपरोक्त बटवारां के अनुसार राजीनामा हो गया है।जवाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी दर्शनसिह द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना शपथ पत्र,वारिसनामा, पैतृक सम्पति बाबत तोताराम के नाम की चक 9 केएचआर की संवत 2033 ता 42 की जमाबन्दी पेश की गई, जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी वादी के नाम से अंकन करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिस बाबत वादी द्वारा तोताराम के नाम की चक 9 केएचआर की जमाबनदी संवत 2033 ता 42 की फोटो प्रतियॉ पेश की। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र, वारिसनामा, पैतृक सम्पति बाबत दादा तोताराम के नाम की चक 9 केएच.आर की जमाबन्दी संवत 2033 ता 42 की जमाबन्दी की फोटो प्रति का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीसं0 1 दलीपसिह के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी, शपथ पत्र वारिसनामा, पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत दादा तोताराम के नाम की जमाबन्दी व प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 9 केएचआर के प0न0 221/220 मु0 20 किलानं0 25/1/.1480, 25/3/.0160, प0न0 222/220 मु0 21 किलानं0 9/1/.164, 22/.253, प0न0 222/221 मु0 22 किलानं0 1,2/.506 है0 कुल 1.087 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 9 केएचआर के खाता सं0 59/56 में से प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–123 / 2020

दर्शनसिह पुत्र दलीपसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1.दलीपसिह पुत्र तोताराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.माया पुत्री दलीपसिह पत्नी नीला जाति बावरी निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3.गोगी पुत्री दलीपसिह पत्नी भजनलाल जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील सुभाषचन्द्र गर्ग वादी मिन जानिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी चकनं0 9 केएचआर के प0न0 221 / 220 मु0 20 किलानं0 25 / 1 / .1480, 25 / 3 / .0160, प0न0 222 / 220 मु0 21 किलानं0 9 / 1 / .164, 22 / .253, प0न0 222 / 221 मु0 22 किलानं0 1,2 / .506 है0 कुल 1.087 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 9 केएचआर के खाता सं0 59 / 56 में से प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा मुकदमें निज......X......निल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत्......X......निल......X......अदा करें। के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X...... वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी